समाहरणालय मधेपुरा
(जिला योजना कार्यालय)

-:आदेश:-

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत दिनांक 24.09.2013 को संम्पन्न जिला चयन समिति की बैठक द्वारा अनुमोदित योजना जिसका प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान कर उपलब्ध कराया गया है, के आलोक में तकनीकी अनुमोदन की राशि के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । निदेश है कि योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा की विधिवत प्रकिया अपनाते हुए इस स्वीकृत्यादेश में उल्लेखित शर्तो पर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे एवं निर्धारित अवधि में योजना का कार्य अवश्य पूर्ण करेंगे। योजना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् तत्संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाण पत्र अद्योहस्ताक्षरी को ससमय उपलब्ध करायेंगे।

क्र0	विधान सभा क्षेत्र	प्रखंड	योजना का नाम	योजना संख्या	प्राथमिकता सूची का क्रमांक	तकनीकी अनुमोदन की राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि (माह में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बिहारीगंज	ग्वालपाड़ा	झझरी बाजार से खुरहान जानेवाली मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण।	10/2013-14	11	45.46	45.46	4 माह
2	बिहारीगंज	मुरलीगंज	सिंगियान पुल से पूरब पर्णियाँ जिला दियरा सीमा तक कालीकरण सड़क का निर्मार्ण।	11/2013-14	15	44.926	44.926	4 माह
			कुल योग:-				90.386	

कुल मो0 (नब्बे लाख अड़तीस हजार छः सौ रूपये मात्र)

ह0 ।
जिला योजना पदाधिकारी,
मधेपुरा।

नियम एवं शर्ते :-

1 मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत निर्गत मार्गदर्शिका ज्ञापांक 1875/यो0वि, दिनांक 16.05.2012, विभागीय पत्रांक 220/यो0वि0, दिनांक 14.01.2013, पत्रांक 612/यो0वि, दिनांक 11.02.2013 एवं समय समय पर योजना एवं विकास विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

2 प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत योजना के प्राक्कलन में पुनरीक्षण मान्य नही होगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर योजना के कार्य को पूर्ण नही किया जाता है, तो इसके लिए संबंधित कार्य एजेंसी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

3 योजना में गुणवत्ता का ह्रास किसी भी परिस्थिति में मान्य नही होगा। इसके लिए संबंधित कनीय अभियंता/सहायक अभियंता मुख्य रूप से जिम्मेवार होंगे।

4 योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, कार्य के मध्य में एवं योजना पूर्ण होने के उपरांतयोजना का फोटोग्रापस लेकर उसे योजना के पूर्ण होने के उपरांत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं फोटोग्राफी की प्रति अपने योजना अभिलेख में भी संधारित करेंगे।

5 योजना स्थल पर निरीक्षण पंजी रखना अनिवार्य होगा, जिसमें इस योजना के पर्यवेक्षण हेतु प्राधिकृत कनीय अभियंता/सहायक अभियंता एवं समय-समय पर निरीक्षी पदाधिकारी अपना मंतव्य के साथ हस्ताक्षर करेंगे।

6 योजना में कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित हो लेंगे कि इस योजन में विगत पांच वर्षो के अन्तरल में इस योजना पर अन्य किसी मद से कोई कार्य नही हुआ है तथा वर्तमान में यह योजना किसी अन्य मद अन्तर्गत स्वीकृत नही है।

7 किसी भी परिस्थिति में योजना में बिचौलिया अथवा ठेकेदार नही होगा। केवल निविदाधारी ही संवेदक होंगे।

8 किसी भी परिस्थिति में निकटतम दूरी उपलब्धता को छोड़कर दूरस्थ स्त्रोत को आधार बनाने पर संबंधित अभियंता कनीय अभियंता के विरूद्ध प्रशासनिक एवं विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

9 यदि योजना का निर्माण किसी सरकारी विभाग की भूमि पर बनाया जाता है तो कार्यकारी विभाग इस आशय का अनापति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त कर प्रमाण पत्र अभिलेख पर अंकित कर देंगे। इसके पश्चात् ही कार्य प्रारंभ करेंगे।

10 योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अपने स्तर से स्थानीय स्तर पर एक सूचना निर्गत कर कार्यान्वयन स्थल के रैयती नहीं होने के संबंध में सुनिश्चित होने के पश्चात् ही कार्यारंभ करायेंगे।

11 योजना से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख को निश्चित रूप से जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

12 निर्धारित समय-सीमा के अन्दर योजना को पूर्ण करा कर सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर अभिलेख बंद करते हुए पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा को निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नकः-उल्लेखित 02 प्राक्कलन की एक एक प्रति।

विश्वासभाजन

(ह०)

जिला योजना पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 70 /यो०वि०, दिनांक 27.01.2014

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः- क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः- कार्यपालक अभियंता,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि योजना प्रारंभ करने के पूर्व माननीया स०वि०स० से योजना का शिलान्यास एवं उदघाटन के संबंध में निर्देश प्राप्त कर योजना का क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः- संबंधित अंचल अधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- ✓जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसे जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने की कृपा करेंगें।

(ह०) 27.01.14

जिला योजना पदाधिकारी,
मधेपुरा।